प्रेस नोट

दिनांक 05.06.2024

थाना धानेपुर व एस0ओ0जी0/सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा 03 शातिर लुटेरो को किया गया गिरफ्तार, लूट/चोरी की कई घटनाओं का हुआ खुलासा, कब्जे से लूट/चोरी के माल सहित 24000/- रूपये नगद, एप्पल मोबाइल फोन (लूटा का), 02 अदद अवैध तमंचा व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी सदर सुश्री शिल्पा वर्मा के नेतृत्व में थाना धानेपुर व एस0ओ0जी0/सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा पंजीकृत मु0अ0सं0-165/24, धारा 392 भादवि थाना धानेपुर, 02. मु0अ0सं0-167/24, धारा 392 भादवि थाना को0देहात, 03. मु0अ0सं0-142/24, धारा 392 भादवि थाना नवाबगंज, 04. मु0अ0स0 135/24 धारा 341, 394, 504, 506 भादवि थाना मोतीगंज, 05. मु0अ0स0-153/24 धारा 379 भादवि थाना खरगूपुर का सफल अनावरण करते हुए 03 शातिर लूटेरो 01. सुमित कुमार तिवारी, 02. शौर्य कश्यप उर्फ हरसू, 03. फैज अहमद को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लूट/चोरी के माल सहित 24000/- रूपये नगद, एप्पल कम्पनी का मोबाइल फोन, 02 अदद अवैध तमंचा व घटनाओं में प्रयुक्त मोटरसाइकिल(स्पलेण्डर प्लस) आदि बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 02.06.2024 को थाना धानेपुर क्षेत्र के अन्तर्गत बन्दरमोडवा माधोगंज के पास मोटरसाइकिल सवार अज्ञात लुटेरों द्वारा मोबाइल फोन व आधार कार्ड के लूट की घटना कारित की गयी थी। जिसके संबंध में वादी श्री मनोज पाण्डेय पुत्र स्व0 श्री जनार्दन प्रसाद पाण्डेय निवासी रानीजोत पो0 विशम्भरपुर थाना धानेपुर जनपद गोण्डा की तहरीर पर थाना धानेपुर में मु0अ0सं0-165/24, धारा 392 भादवि बनाम अज्ञात के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। उक्त सूचना को संज्ञान में लेकर पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण में पुलिस टीमों का गठन कर घटना के अनावरण हेतु प्र0नि0 धानेपुर सहित प्रभारी एस0ओ0जी0/सर्विलांस को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए थे। जिसमें आज दिनांक 05.06.2024 को थाना धानेपुर व एस0ओ0जी0/सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा सुरागरसी-पतारसी व इलेक्ट्रानिक साक्ष्यों के आधार पर घटना का सफल अनावरण करते हुए 03 शातिर लूटेरों -01. सुमित कुमार तिवारी, 02. शौर्य कश्यप उर्फ हरसू 03. फैज अहमद को माधवगंज स्थित नैपुरिया मोड़ के पास से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लूट/चोरी की विभिन्न घटनाओं से संबंधित माल सहित 24000/- रूपये नगद, एप्पल कम्पनी का मोबाइल फोन, 02 अदद अवैध तमंचा व घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोटरसाइकिल, 04 अदद आधार कार्ड, 01 अदद पैन कार्ड, 01 अदद वोटर आईडी कार्ड, 01 अदद चाभी का गुच्छा आदि बरामद किया गया। थाना धानेपुर पुलिस द्वारा माल बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-

अभियुक्तगणों से कड़ाई से पूछताछ के दौरान ज्ञात हुआ कि इन लोगो का एक संगठित गिरोह है जिनका गैंग लीडर आकाश यादव है जो अपने साथियों के साथ आर्थिक लाभ कमाने के लिए जनपद गोण्डा व आस पास के क्षेत्रों में लूट/चोरी व छिनैती आदि की घटनाओ को अंजाम दिया करते हैं। गैंग लीडर द्वारा अपने गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर दिनांक 23.04.2024 की रात्रि थाना को0देहात क्षेत्र के वेलवा बनधुसरा के पास एक साइकिल सवार व्यक्ति के आँख में मिर्च पाऊडर फेक कर रूपयों की लूट की थी तथा दिनांक 29.04.2024 को थाना नवाबगंज क्षेत्र के अन्तर्गत किशुनदासपुर क्रासिंग के पास मोटरसाइकिल पर सवार 02 व्यक्तियों के आख में मिर्च पाऊडर फेक कर रूपयों की लूट की थी, दिनांक 21.05.2024 की रात्रि में थाना खरगूपुर क्षेत्र के अन्तर्गत फरेन्दा मोड के पास मोटरसाइकिल पर सवार 02 लोगो से मोबाइल फोन व रूपयों की चोरी की गयी थी।दिनांक 02.06.2024 की रात्रि करीब 11 बजे काजी देवर मन्दिर मोतीगंज के पास रिक्शा चालक पर चाकू से हमला कर उसका मोबाइल फोन व रूपयों की लूट की गयी थी, रिक्शा चालक के विरोध करने पर अभियुक्त सुमित द्वारा चाकू से वार कर रिक्शा चालक को घायल करके भाग गये थे। उक्त घटनाओं के सम्बन्ध में सम्बन्धित थानों में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ था जिसका सफल अनावरण उपरोक्त पुलिस टीम द्वारा किया गया है।

नोट:- उक्त सराहनीय कार्य हेतु पुलिस टीम को पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 25,000/- रूपये के नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. सुमित कुमार तिवारी पुत्र मनराखन तिवारी निवासी ग्राम असधा थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।
02. शौर्य कश्यप उर्फ हरसू पुत्र चानू कश्यप निवासी छेदीपुरवा जानकीनगर थाना को0नगर गोण्डा।
03. फैज अहमद पुत्र स्व0 रियाज अहमद निवासी मो0 इमामबाड़ा थाना को0नगर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-167/2024 धारा 9/25 आर्म्स ऐक्ट थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

अनावरित अभियोग-

01. मु0अ0सं0-165/24, धारा 392, 411, 120वी भादवि थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0-167/24, धारा 394 भादवि थाना को0देहात जनपद गोण्डा।
03. मु0अ0सं0-142/24, धारा 392 भादवि थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।
04. मु0अ0स0 135/24 धारा 341, 394, 504, 506 भादवि व 4/24 आर्मस एक्ट थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा।
05. मु0अ0स0-153/24 धारा 379 भादवि थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 01 अदद तमंचा 32 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस 32 बोर।
02. 01 अदद तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर।
03. 01 अदद अवैध चाकू (घटनाओं में प्रयुक्त)
04. 01 अदद एप्पल कम्पनी का मोबाइल फोन (मु0अ0स0 135/24 धारा 341, 394, 504, 506 भादवि व 4/24 आर्मस एक्ट थाना मोतीगंज से सम्बन्धित)
05. 24000/- रूपये नगद लूट/चोरी की घटनाओं के।
06. 04 अदद आधार कार्ड, 01 अदद पैन कार्ड, 01 अदद वोटर आईडी कार्ड, 01 अदद चाभी का गुच्छा
07. घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल (स्पलेण्डर प्लस)।

गिरफ्तार कर्ता टीम थाना धानेपुर-	**एस0ओ0जी0/सर्विलांस टीम**
01. उ0नि0 विरेन्द्र प्रसाद पाल	01. उ0नि0 सर्वजीत गुप्ता प्रभारी एस0ओ0जी/स्वाट टीम
02. उ0नि0 परशुराम सिंह	02. उ0नि0 सुनील सिंह प्रभारी सर्विलांस।
03. उ0नि0 प्रशान्त कुमार	03. हे0कां0 महेन्द्र कुमार।
04. हे0का0 आनन्द यादव	04. हे0कां0 पंकज सिंह।
05. हे0का0 अशोक यादव	05. हे0कां० रणधीर सिंह।
06. का0 राहुल	06. हे0कां० अरूण यादव।
	07. कां0 अमित पाठक।
	08. का0 आदित्य पाल।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 05.06.2024, थाना उमरीबेगमगंज,
जनपद गोण्डा।

थाना उमरीबेगमगंज पुलिस द्वारा जान मारने की नियत से बम फेकने व मारपीट करने का वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया,

कार्यवाही-
श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री सौरभ वर्मा के नेतृत्व में गठित थाना उमरीबेगमगंज पुलिस टीम द्वारा मु0अ0स0 146/2024 धारा 147, 148, 149, 323, 504, 506, 452, 427, 307 भादवि व 4/5 विस्फोटक अधि0 से सम्बन्धित नामजद आरोपी अभियुक्त रामलगन पासवान पुत्र गयादीन निवासी पुरेडाल डीहा थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा के उसके घर के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 22.05.2024 को वादी मेहीलाल पासवान पुत्र स्वंग हरदीन निवासी पुरेडाल थाना उमरीबेगमगंज गोण्डा द्वारा थाना उमरीबेगमगंज को सूचना दिया कि दिनांक 21.05.2024 को मै अपना दिवाल बनाकर उस पर सिमेन्ट की चादर डाल कर परिवार के साथ गुजर बसर कर रहे थे की विपक्षीगण रामकरन आदि मोटरसाकिल व बोलेरो से 20-25 की संख्या में अपने अपने हाथ में हथियार, हाकी, डण्डा व हाथ गोला बम लेकर मेरे घर पर हमला कर दिया। दिवाल व सीमेन्ट की चादर व घर में रखा सारा समान तोड़ दिये । गाली गुप्ता देते हुए जान मारने के नियत से घर पर बम फेक दिया जिससे काफी चोटे आयी है। उक्त सूचना पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 146/2024 धारा 147, 148, 149, 323, 504, 506, 452, 427, 307 भादवि व 4/5 विस्फोटक अधि बनाम संतोष पासवान आदि 04 नामजद व 20-05 अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसके क्रम में दिनांक 22.05.2024 को थाना उमरीबेगमगंज पुलिस टीम द्वारा नामजद अभियुक्त रामलगन पासवान पुत्र गयादीन निवासी पुरेडाल डीहा थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा को उसके घर के पास से गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना उमरीबेगमगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-
01. रामलगन पासवान पुत्र गयादीन निवासी पुरेडाल डीहा थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-
01. मु0अ0स0 146/2024 धारा 147, 148, 149, 323, 504, 506, 452, 427, 307 भादवि व 4/5 विस्फोटक अधिनियम 1984 थाना उमरीबेगमगंज, जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-
01. उ0नि0 पवन कुमार गिरी
02. का0 ऋषिकेश कुमार

मीडिया सेल, गोण्डा।